


फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी-सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर
सरदाराम राम बनाम वीरभान आदि
किस्म मुकदमा:- 88,53,209 आर0टी0ए0 प्रकरण संख्या:-262/2024 (GCMS 2024/534)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
17.01.2025	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा पत्र सं.3139 दिनांक 30.12.2024 द्वारा प्रश्नगत भूमि के प्राथमिक डिकी दिनांक 19.12.2024 अनुसार विभाजन प्रेषित करने पर पेशी में ली गई। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बताया कि तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये हैं वह स्वीकार है तथा इसी अनुसार खाता विभाजन किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2024 को प्रश्नगत भूमि बाबत प्राथमिक डिकी जारी की गई थी। अधिवक्ता वादी अनुसार प्राथमिक डिकी की पालना में विभाजन प्रस्ताव हुए हैं। विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा प्रश्नगत वादाधीन भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है।</p> <p>1.सरदाराराम पुत्र पहलवान जाति बाजीगर निवासी 46 एस.एस.डब्ल्यू. डबली बास मोलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़ की भूमि:-तहसील सूरतगढ़ के कस्बा सूरतगढ़ का खसरा नं. 243/11 की 1.2885 हैक्टर व 533/243 के 0.29275 हैक्टर कुल 1.58125 हैक्टर बरानी (प्रस्ताव में गुलाबी रंग से दर्शाया हुआ है)</p> <p>2.वीरभान पुत्र कुलदीपराम जाति बाजीगर निवासी रताखेड़ा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा) की भूमि:-तहसील सूरतगढ़ के कस्बा सूरतगढ़ का खसरा नं. 243/11 की 1.33225 हैक्टर व 533/243 के 0.249 हैक्टर कुल 1.58125 हैक्टर बरानी (प्रस्ताव में हरे रंग से दर्शाया हुआ है)</p> <p>3.परसाराम पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 07, सूरतगढ़ की भूमि:- तहसील सूरतगढ़ के कस्बा सूरतगढ़ का खसरा नं. 243/11 की 1.38925 हैक्टर व 533/243 के 0.192 हैक्टर कुल 1.58125 हैक्टर बरानी (प्रस्ताव में नीले रंग से दर्शाया हुआ है)</p> <p>4.मेघराज पुत्र तारूराम जाति मोची निवासी वार्ड नं. 31, सूरतगढ़ की भूमि:- तहसील सूरतगढ़ के कस्बा सूरतगढ़ का खसरा नं. 243/11 की 1.429 हैक्टर व 533/243 के 0.15225 हैक्टर कुल 1.58125 हैक्टर बरानी (प्रस्ताव में संतरी रंग से दर्शाया हुआ है)</p> <p>राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार खाता विभाजन का अमलदरामद किया जाकर रकम राज अलग-2 कायम हो। यदि रहन है तो यथावत् रहेगा। परचा डिकी जारी हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	




(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)



(ओ021 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

-:परचा डिक्री:-

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
(बइजलास :-सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

-: अनवान :-

1. सरदारा राम पुत्र पहलवानराम जाति बाजीगर निवासी 46 एस.एस.डब्ल्यू डबली बास मोलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)

-वादी

बनाम

1. वीरभान पुत्र कुलदीप राम जाति बाजीगर निवासी रत्ताखेड़ा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)
2. परसाराम पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 07, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. मेघराज पुत्र तारूराम जाति मोची निवासी वार्ड नं. 31, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

-प्रतिवादीगण



वाद पत्र धारा-88,53,209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 262 वर्ष 2024 (GCMS 2024/534) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री सूरज स्वामी तथा राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:-

वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रश्नगत वादाधीन भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है।

- 1.सरदाराराम पुत्र पहलवान जाति बाजीगर निवासी 46 एस.एस.डब्ल्यू डबली बास मोलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़ की भूमि:-तहसील सूरतगढ़ के कस्बा सूरतगढ़ का खसरा नं. 243/11 की 1.2885 हैक्टर व 533/243 के 0.29275 हैक्टर कुल 1.58125 हैक्टर बारानी (प्रस्ताव में गुलाबी रंग से दर्शाया हुआ है)
- 2.वीरभान पुत्र कुलदीपराम जाति बाजीगर निवासी रत्ताखेड़ा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा) की भूमि:-तहसील सूरतगढ़ के कस्बा सूरतगढ़ का खसरा नं. 243/11 की 1.33225 हैक्टर व 533/243 के 0.249 हैक्टर कुल 1.58125 हैक्टर बारानी (प्रस्ताव में हरे रंग से दर्शाया हुआ है)
- 3.परसाराम पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 07, सूरतगढ़ की भूमि:- तहसील सूरतगढ़ के कस्बा सूरतगढ़ का खसरा नं. 243/11 की 1.38925 हैक्टर व 533/243 के 0.192 हैक्टर कुल 1.58125 हैक्टर बारानी (प्रस्ताव में नीले रंग से दर्शाया हुआ है)
- 4.मेघराज पुत्र तारूराम जाति मोची निवासी वार्ड नं. 31, सूरतगढ़ की भूमि:- तहसील सूरतगढ़ के कस्बा सूरतगढ़ का खसरा नं. 243/11 की 1.429 हैक्टर व 533/243 के 0.15225 हैक्टर कुल 1.58125 हैक्टर बारानी (प्रस्ताव में संतरी रंग से दर्शाया हुआ है)

राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार खाता विभाजन का अमलदरामद किया जाकर रकम राज अलग-2 कायम हो। यदि रहन है तो यथावत् रहेगा।

नोज.....ग.....मुबलिंग.....ग.....बाबत.....ग.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह.....ग.....फस्दों की पालना.....ग.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17.01.2025 को जारी की गई।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)